भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †1976

सोमवार, 14 मार्च, 2022/23 फाल्गुन, 1943 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटन क्षेत्र में मादक पदार्थों का व्यापार

†1976. श्री हिबी ईडनः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या तट के किनारे संचालित होटलों से चलने वाले मादक पदार्थों के व्यापार से राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित होने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने यह ध्यान दिया है कि नशीली दवाओं के दुरूपयोग और यौन उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं से यह संकेत मिलता है कि यौन शोषण हेतु नशीली दवाओं की आपूर्ति बढ़ रही है और यदि हां, तो पर्यटन क्षेत्र में इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने पर्यटन की आड़ में मादक पदार्थों की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी को रोकने के लिए कोई पहल की है; और

(घ) क्या सरकार ने यह ध्यान दिया है कि केरल के एर्नाकुलम में हुई कार दुर्घटना, जिसमें दो मॉडलों सहित तीन लोगों की मृत्यु हो गई थी, दिशाहीन पर्यटन नीति का ही एक परिणाम है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने यह सूचित किया है कि उनके फील्ड फॉर्मेशन ने पिछले तीन वर्षों में होटलों से कुछ नशीले पदार्थ जब्त किए हैं। इसका विवरण **अनुबंध** में दिया गया है। तथापि अभी तक राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करते हुए तटवर्ती क्षेत्रों में स्थित होटलों से नशीले पदार्थों की तस्करी की किसी घटना की सूचना नहीं मिली है। अन्य केन्द्रीय और राज्य ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसी के ब्यौरे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के पास उपलब्ध नहीं है।

(ख): एनसीबी के पास ऐसा कोई विवरण उपलब्ध नहीं है।

(ग): केन्द्रीय और राज्य ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने एनडीपीएस अधिनियम 1985 के तहत विदेशियों को गिरफ्तार किया है जो पर्यटन सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए जारी वैध वीजा पर आये है। पिछले 03 वर्षों के दौरान गिरफ्तार किए गए विदेशियों के ब्यौरे निम्नानुसार है:-

विवरण	2019	2020	2019
गिरफ्तार किए गए विदेशी	430	196	345

भारत में नशीले पदार्थों की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी को रोकने के लिए गृह मंत्रालय ने अनेक कदम उठाए हैं:-

i. स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने विभिन्न देशों के साथ 27 द्विपक्षीय करारों और 17 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।
ii. पड़ोसी देशों तथा हेरोइन के उत्पादन के लिए जाने जाने वाले देशों के साथ डी जी स्तर पर वार्ताएं आयोजित की जा रही है।
iii. डीईए, आरसीएमपी, एनसीए, एएफपी, सउदी अरब, नेपाल जैसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सूचना का आदान-प्रदान किया जा रहा है।
iv. इसके अतिरिक्त जानकारी साझा करने और संयुक्त कार्य योजना तैयार करने के लिए एससीओ ब्रिक्स, कोलम्बो प्लान, सार्क, बिक्सटेक जैसे बहुराष्ट्रीय मंचों में भागीदारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
v. विदेशी नागरिकों विशेष रूप से नाईजीरियाई और अफगानों आदि पर विशेष रूप से निगरानी रखी जाती है।
vi. अधिसूचित पदार्थों और प्रकरसोर्स के कठोर विनियमन के सम्बन्ध में अभी हाल ही में एनडीपीएस के दायरे (आरसीएस/आदेश, 2013) के तहत बीटुबी प्लेटफार्म स्थापित किए गए हैं।
vii. नियंत्रण हेतु केन्द्र तथा राज्य के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के लिए संयुक्त कार्ययोजना की परिकल्पना हेतु एनसीओआरडी तंत्र की स्थापना।

(घ): ऐसा कोई डाटा उपलब्ध नहीं है।

****

अनुबंध

पर्यटन क्षेत्र में मादक पदार्थों का व्यापार के सम्बन्ध में दिनांक 14.03.2022 के लोक सभा के लिखित प्रश्न सं. +1976 के भाग (क) के उत्तर में **विवरण**

पिछले 3 वर्षों (2019-2021) में होटलों से जब्त नशीले पदार्थ

मामलों की कुल सं.	**जब्त नशीले पदार्थ**	**गिरफ्तार व्यक्तियों की कुल संख्या**
10	चरस (1.482 कि.ग्रा.); मेफेड्रोन (564.2 ग्राम) और 12.055 कि. ग्रा. मीथमफेटामाइन	17

******